# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर जिला ग्वालियर म.प्र.

राजस्व निगरानी प्र.क.– /2016 निग - 2348-I-16

श्री बृजेन्द्र सिंह यादव द्वारा आज दि. 14/7/16 को प्रस्तुत

रीडर राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जगदीश तनय श्री भूरे यादव
निवासी बुड़ेरा तहसील व जिला
टीकमगढ़ (म.प्र.)

....निगराकार

बनाम

शासन मध्यप्रदेश

प्रति निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा– 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

निगरानी प्रतिकूल आदेश दिनांक 30.04.2015 को प्रकरण क्रमांक 9/अ–6–अ/2012–2013 में पारित किया गया।

बृजेन्द्र सिंह यादव 14/7/16

महोदय

निगराकार की ओर से विनय निम्नानुसार है :–

1. यह कि भूमि खसरा नं. 2795/1 रकवा में भू–स्वामी घोषित थिका गया था एवं राजस्व अभिलेखों हस्त लिखित खसरा में भी आवेदक निगराकार का नाम इन्द्राज किया गया था।

2. यह कि कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों में निगराकार का नाम नहीं है, जिसके लिये निगराकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़ागांव के समक्ष आवेदन किया गया, जहां पर प्रकरण का मूल रिकार्ड बुलाया गया, परंतु मूल प्रकरण न आने के कारण से प्रकरण को निरस्त किया गया।

## निगरानी के आधार

1. यह कि प्रकरण में मूल प्रकरण दायरा में दर्ज है, जिसका प्रमाण दायरा पंजी की

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2318–एक / 2016 जिला टीकमगढ़

जगदीश विरूद्ध म0प्र0 शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 20/02/2019 | आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार बडागांव, टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 9/अ–6–अ/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकगमढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को कलेक्टर टीकगमढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>(आर0के0 जैन)<br>सदस्य 20/02/2019 | |